



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082022-237775
CG-DL-E-01082022-237775

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3353]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2022/श्रावण 7, 1944

No. 3353]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2022/SHRAVANA 7, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2022

का. आ. 3518(अ).—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि श्रीकाकुलम-अंगुल पाईपलाइन परियोजना और स्पर गैस पाइपलाइन के अन्तर्गत खनिज उत्पाद के परिवहन हेतु अंगुल से श्रीकाकुलम तक गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा ओडिशा राज्य में पाईपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाईपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, 21 दिन के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाये जाने की संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, ओडिशा, गेल (इण्डिया) लिमिटेड 612 उत्कल सिग्रेचर, पाहाल, एन हच- 16 भुवनेस्वर -751032 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

श्रिकाकुलम-अनगुल पाइपलाइन					
(स्पर गैस पाइपलाइन)					
भूमि अनुसूचि					
जिला-गजपति		राज्य : ओडिशा			
तहसील का नाम	गाँव का नाम-थाना नं.	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर	आरे.	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6
काशिनगर	अलडा - 05	534	00	08	64
		533	00	02	69
		535	00	18	04
		535/1108	00	01	40
		535/1109	00	06	79
		353	00	00	04
		531	00	09	02
		361	00	05	23
		360	00	00	10
		362	00	04	08
		363	00	03	93
		295	00	02	08
		296	00	07	59
		290	00	07	86
		287	00	11	69
		287/1072	00	03	35
		289/1083	00	02	90
		289	00	03	61
		245	00	04	34
		246/594	00	05	68
		246	00	10	01
		249	00	19	44
		255/1146	00	00	07
		256	00	09	06
		255	00	03	24
		257	00	07	18
		258	00	00	02
		259/1010	00	03	45
		259	00	12	58
		227/1216	00	01	39
		227	00	01	44
		224/1005	00	00	97
		224	00	17	33
		219	00	08	36
		220	00	08	15
		221	00	00	14
		92	00	03	42

	90	00	06	95
	89	00	02	83
	88	00	05	23
	84	00	06	25
	85	00	08	82
	85/996	00	00	95
	82	00	01	99
	86	00	02	66
	67	00	16	88
	67/997	00	00	01
	66	00	06	74
	66/1249	00	03	26
	65	00	19	97
	63	00	00	39
	65/1250	00	02	71
	64/1248	00	02	93
	64	00	16	56
	35	00	03	05
	36	00	07	47
	30	00	62	34
	5	00	17	39
	1	00	54	83

[फा. सं. एल-14014/157/2022-जीपी-II(ई-43817)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th July, 2022

S. O. 3518(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest under the Srikakulam-Angul gas Pipeline Project and Spur gas pipeline for the transportation of Petroleum Product from Angul to Srikakulam in the state of Odisha a pipeline should be laid by Gail (India) Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land describe in the said schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section(1) of the Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User therein for laying of the pipeline under the land to competent Authority,(Odisha) Gail (India) Limited, 612 Utkal Signature,Pahal, NH-16 Bhubaneswar-751032.

SRIKAKULAM-ANGUL PIPE LINE					
(SPUR GAS PIPE LINE)					
LAND SCHEDULE					
District-Gajapati			State:Odisha		
Name of Tehsil	Name of Village-Thana No.	Survey No.	Area		
			Hector	Are.	Sq.Mtr.
1	2	3	4	5	6
Kashinagar	Alada-05	534	00	08	64
		533	00	02	69
		535	00	18	04
		535/1108	00	01	40
		535/1109	00	06	79
		353	00	00	04
		531	00	09	02
		361	00	05	23
		360	00	00	10
		362	00	04	08
		363	00	03	93
		295	00	02	08
		296	00	07	59
		290	00	07	86
		287	00	11	69
		287/1072	00	03	35
		289/1083	00	02	90
		289	00	03	61
		245	00	04	34
		246/594	00	05	68
		246	00	10	01
		249	00	19	44
		255/1146	00	00	07
		256	00	09	06
		255	00	03	24
		257	00	07	18
		258	00	00	02
		259/1010	00	03	45
		259	00	12	58
		227/1216	00	01	39
		227	00	01	44
		224/1005	00	00	97
		224	00	17	33
		219	00	08	36
		220	00	08	15

	221	00	00	14
	92	00	03	42
	90	00	06	95
	89	00	02	83
	88	00	05	23
	84	00	06	25
	85	00	08	82
	85/996	00	00	95
	82	00	01	99
	86	00	02	66
	67	00	16	88
	67/997	00	00	01
	66	00	06	74
	66/1249	00	03	26
	65	00	19	97
	63	00	00	39
	65/1250	00	02	71
	64/1248	00	02	93
	64	00	16	56
	35	00	03	05
	36	00	07	47
	30	00	62	34
	5	00	17	39
	1	00	54	83

[F. No. L-14014/157/2022-GP - II(E-43817)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.